FORM-4

(For Liner Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri

No. 1023/XXVI/-103 (2015-16) Dated 30/XII/2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF' s letter dated 5 February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.42** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of forest department (E.E. Cons.Divi Peyjal Nigam, Chamba) for **Chamba Mussoorie Fall Patti Surkanda Devi GoV pumping Water Supply Scheme** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of village (s) in **Tehri/Dhanolti Tehsils.**

It is further certified that.

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.42** Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in annexure.
(b) The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,
(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Enclosure. As above

(ज्योति नीरज खैरवाल)
District Collector
जिलाधिकारी
New Tehri
टिहरी गढ़वाल।

Form-4 Chamba Mussoorie Fall Patti WSS

प्रारूप - 30

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTRAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule Tribes & Other Traditional Fores Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA 2006 wad held under the chairmanship of Shri Jyoti Neeraj Khairwal I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in Which the applicant claiming rights in Chamba/Jaunpur/Thauldhar Block area measuring **1.42 Hectare** for the costruction of **Chamba Mussoorie Fall Patti Surkanda Devi GoV Pumping Water Supply Scheme** in Tehsil Tehri/Dhanolty/Kandisaur of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for diversion for the said purpose.

Place - Tehri
Date - 30 - XII - 2015

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

(ज्योति नीरज खैरवाल)
District Collector Cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

It is Further certified that Minutes fo meeting **Chamba Mussoorie Fall Patti Surkanda Devi GoV Pumping Water Supply. Scheme** regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **1.**42 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection cerfificate concerned village regarding construction of aforesaid Pumping W/S is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

उर्मिला जड़धारी
जिला पंचायत सदस्य (मं०)
टिहरी गढवाल।

17/1/15
समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढवाल।
जिला समाज कल्याण अधिकारी
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
टिहरी।

(ज्योति नीरज खैरवाल)
(ज्योति नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।
टिहरी गढवाल।

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी टिहरी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण –पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति टिहरी

तहसील टिहरी / कण्डीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण (आरक्षित वनभूमि 0.0328है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0 कुल भूमि 0.328है0) जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील टिहरी / कण्डीसौड़) की दिनांक ....4/11/015.... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री
उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री बृजेश कुमार तिवारी — उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष
2. श्री बी. के. सिंह — उप प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य
3. श्री– आर० एस० राणा – — सहायक समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य / सचिव
4. श्रीमती उर्मिला बड़थ्वाल — जिला पंचायत — — सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पयजल योजना हेतु 0.32 है0 वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्र नगर / टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील टिहरी/कण्डीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना** के निर्माण हेतु **0.328 है0** वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड चम्बा (टि0 ग0)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील टिहरी
जनपद टिहरी

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उर्मिला जड़धारी
सदस्य
जिला पंचायत सौड़
वि0 ख0-चम्बा (टि0 ग0)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रानीचौरी उप वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील टिहरी
जनपद टिहरी

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढवाल के चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोल्टी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति धनोल्टी

तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण (आरक्षित वनभूमि ~~0.90~~ 1.031 है0, सिविल सोयम भूमि ~~0.09~~ 0.062 है0 कुल भूमि ~~0.99~~ 1.093 है0) जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोल्टी) की दिनांक ......6/11/2015......को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई । बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1.	श्री देवानन्द शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	श्री डी0पी0 बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3.	श्री संजयसिंह बेलवाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4.	श्री अखिलेश उनियाल	जिला पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 0.99 है0 वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है । उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्र नगर/टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

C A Attested

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेती

जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना** के निर्माण हेतु ~~0.99~~ 1.093 है0 वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी

अखिलेश उनियाल
सदस्य, जिला पंचायत टि0ग0
वार्ड संख्या 10 (भुत्सी)

(संजयसिंह बेलवाल)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेती

G.A. Attested

उप प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेती

परियोजना शीर्षक

कार्य का नामः— जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत चम्बा—मसूरी फल पटट्री पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.42 हे0 आरक्षित भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्रम पंचायत का नामः— उनियालगांव

तहसीलः— धनोल्टी टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चम्बा—मसूरी फल पटटी पम्पिंग पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 1.42 है0 आरक्षित वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को चम्बा—मंसूरी फल पटटी पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्रम पंचायत उनियालगांव द्वारा दिनांक 5/8/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है। चर्चा के उपरानत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव परित किया गया कि ग्राम चम्बा—मंसूरी फल पटटी पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढवाल को चम्बा—मसूरी फल पटटी पम्पिग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है। प्रमाणित कियाजा सत्य एवं सही है।

ह0

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत उनियाल गांव

परियोजना शीर्षक

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढवाल के वन अन्तर्गत चम्बा–मसूरी फल पटटी पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.42 हे0 आरक्षित भूमि को 30 वर्षो तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक ....5|8|015... को ग्रम पंचायत उनियालगांव में चम्बा–मसूरी फल पटटी पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्रम पंचायत उनियालगांव द्वारा जनहित को ध्यान मेंरखते हुए चम्बा–मसूरी फल पटटी पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क0सं0	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री श्याम S/o [illegible]	श्रीश्याम
2-	प्रेम सिंह S/o [illegible] सिंह	प्रेम सिंह
3-	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]
4-	विजय [illegible] S/o [illegible]	विजय
5-	हरीप्रसाद S/o [illegible]	हरी प्रसाद
6-	राकेश S/o [illegible]	राकेश
7-	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत उनियालगांव ... (टिहरी-गढ़वाल)